

फॉर्म अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल  
श्रीमती कमलादेवी बनाम श्री-सौभाग्य जाट (कोम)

विरम मुकदमा पा.पत्र 111-129 नं. 187 सन 2020

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

दिनांक

हुकम का कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11-20

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जाते। पत्रावली दिनांक 10-12-20 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

10-12-20 ~~उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल~~  
दिनांक 24-12-20 को पेश हो

1  
पत्र

24-12-20

पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थीगण द्वारा  
व्यायक्तिक कार्य समाप्त कर रखने  
से पत्रावली दिनांक 24-12-20 को पेश हो।

29/12

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थियां उपस्थित, अप्रार्थीगण  
के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिल  
पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल पत्रार हल्का माण्डल  
पटवारी द्वारा मोका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल  
पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितमी मर्तबा  
आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं,  
इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के  
आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थिया ने नट्स करनी  
चाही, वह सबूत सुनी गयी, व्यायहित में वकील  
प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीमा अधिकारी - डी. पी. साहू

समा संख्या - 187/20 प्रप

पीएमसी कसबा देवी वंशी श्यामलाल रवी क नितारी - तहसील भीलवाडा माण्डल

तहसील भीलवाडा माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

श्री. श्री. श्री. बगतावर जाट नितारी - माण्डल तहसील - माण्डल  
श्रीमती सोहनी देवी वंशी देवी लाल गुजर नितारी - कोलीशेड़ा तहसील - माण्डल  
राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार सा माण्डल तहसील - माण्डल

- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा भूरा अधि. 1956

दिनांक - 29-01-2021

::आदेश::

मे ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा भूरा अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम **बनाईरवेड़ा** तहसील माण्डल में उसके सयुक्त खाते की आराजी नं. 3337/1, 3337/2, 3337/3, 3337/4, 3337/5, 3337/6 कुल कित्ता 06 रकबा 06 बिस्वा स्थित है। यदि अन्तर्गत भूमि के विपक्षीय के माध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा ही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-11-2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को मर्त्य से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा भूरा अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **बनाईरवेड़ा** का **माण्डल** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3337/1, 3337/2, 3337/5, 3337/6 कुल कित्ता 06 रकबा 06 बीघा बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का पता जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **माण्डल** को 300-/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा